राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत लाखागुडा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत लाखागुडा

प्रकरण सं. – 20/2014 रे.वा.

निर्णय दिनांक – 12.06.2015

अनवान

1. श्री सोहनलाल पिता कुकाराम जाति कुम्हार निवासी लाखागुडा हामातो की गुआर तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री बाबुलाल पुत्र गणेशलाल जाति महाजन निवासी मण्डावर तहसील भीम
2. श्री शान्तिलाल पिता गणेशमल जाति महाजन निवासी मण्डावर तहसील भीम
3. श्री गोतमचन्द पिता गणेशमल जाति महाजन निवासी मण्डावर तहसील भीम
4. श्री अरविन्दकुमार पिता गणेशमल जाति महाजन निवासी मण्डावर तहसील भीम

प्रतिवादीगण

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.</u>

यह कि वादी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1427 व 1434 ग्राम ढाक का चौडा मण्डावर पटवार हल्का मण्डावर भू–अभिलेख क्षेत्र बग्गड में स्थित होकर चली आ रही है।

यह कि उक्त आराजी शामलाती होकर मौके पर भाई बंटवारा हो रखा है तथा मौके के अनुसार सभी अपनी जगह काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि उक्त आराजी मे वादी के ही परिवार के सहखातेदार गुलाब, छोगा व हीरा ने अपने हक व स्वामित्व की जमीन को प्रतिवादीगण के पिता गणेशमल को दी थी।

यह कि गणेशमल ने गुलाब छोगा व हीरा की जमीन क्रय करके पटवारी ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके षडयंत्र पूर्वक वादी की आराजी को भी अपने नाम धोखाधडी पूर्वक करवा दी।

यह कि जबकी वादी अपना जमीन पर आज भी काबिज काश्त है तथा वादी पूर्व में वादी के पूर्वजो का तथा आज वादी ही अपने हिस्से का एकमात्र मालिक है।

यह कि वादी प्रतिवादीगण का मेरे हिस्से से कोई लेना देना नही है लेकिन अब प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गया है जो कि गलत एवं नाजायज तरीके से वादी की जमीन को हडपना चाहते है तथा यह भी धमकी देते है कि हम तेरी जमीन को किसी को भी तरीके बेचान कर सकते है तू हमारा कुछ नही बिगाड सकता ।

यह कि इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी नियत में खोट रखने की वजह से प्रतिवादीगण को प्रतिषेधात्मक कार्यवाही से किसी भी प्रकार से अन्तरण रूकवाया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि प्रतिवादीगण ने कभी भी आज दिवस तक तो मेरी भूमि में आने का प्रयास नही किया लेकिन अब वे नाजायज रूप से प्रवेश करने पर आमदा है।

वादपत्र तब उत्पन्न हुआ कि उक्त खसरा नम्बर में जबरदस्ती से कांटो की बाड लगाकर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प लाखागुडा** मे प्रार्थी का वादपत्र इस आश्य से खारीज किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1427 एवं 1434 दावे में दाद लगा रखा है। किन्तु जमाबन्दी में 1434 के बजाय 2655 होने से उक्त दावा चलने योग्य नही होने खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड ... भीम
...